भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1927

उत्तर देने की तारीख : 28.07.2022

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे मुस्लिम

1927. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:
श्री रतन लाल कटारिया:
श्री बी. बी. पाटील:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) मुसलमानों सहित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की संख्या की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी रेखा ने नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति/जीवन-स्तर में सुधार लाने हेतु कोई कल्याण योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(च) इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन और निगरानी हेतु सूत्रबद्ध योजना का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या हिंदुओं को देश के किसी भी राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ) सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से गरीबी का मूल्यांकन नहीं किया है। सरकार अल्पसंख्यकों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना आदि शामिल हैं। साथ ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित अल्पसंख्यक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और सभी अधिसूचित

अल्पसंख्यकों के वंचित वर्गों के जीवन स्तर के उत्थान के लिए शैक्षिक सशक्तीकरण, रोजगार-उन्मुख कौशल विकास, बुनियादी ढांचे का समर्थन आदि है। योजनाओं का विवरण है:-

क. शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं:

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए।

(2) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना - वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करती है।

(3) नया सवेरा - निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना - योजना का उद्देश्य तकनीकी/मेडिकल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है।

(4) पढ़ो परदेश - विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता योजना।

(5) नई उड़ान - संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), राज्य लोक सेवा आयोग (PSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सहायता।

ख. रोजगारोन्मुख योजनाएं:-

(6) प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (**PM VIKAS**) (2022-23 से प्रभावी) - मंत्रालय की 5 मौजूदा योजनाएं नामत: सीखो और कमाओ (2013-14 से प्रभावी), उस्ताद (2014-15 से प्रभावी), हमारी धरोहर (2014-15 से प्रभावी), नई रोशनी (2012-13 से प्रभावी) और नई मंजिल (2016-17 से प्रभावी) को अब एक ही योजना में बदल दिया गया है जिसे पीएम विकास के नाम से जाना जाता है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में कौशल विकास, शिक्षा, नेतृत्व, प्रशिक्षण सहायता, उद्यमिता हस्तक्षेपों, क्रेडिट और बाजार लिंकेज की सुविधा के माध्यम से उनके व्यवसाय का समर्थन करना और ब्रांड और उत्पादों को देश में पर्यटन और व्यापार सर्किट का लाभ उठाकर बनाए गए व्यापक बाजार सीमा में बेचने के नए अवसर प्रदान करने के माध्यम से सुधार करना है।

ग. अवसंरचना विकास कार्यक्रम:

(7) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)-एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिसका उद्देश्य अभिज्ञात क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु बुनियादी परियोजना विकसित करना है। पीएमजेवीके क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं आदि है।

(ङ) योजनाओं के तहत आवंटित निधि (संशोधित अनुमान) का विवरण संलग्न है।

(च) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का मूल्यांकन समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा देश भर में योजनाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए किया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, योजनाओं को कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में अधिक कुशल बनाने के लिए योजनाओं में और परिवर्तन किए जाते हैं।

(छ) जी नहीं।

******

"गरीबी रेखा से नीचे रह रहे मुस्लिम" के संबंध में दिनांक 28.07.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1927 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन दर्शाने वाला विवरण (करोड़ रु. में)

क्रम सं.	योजना/परियोजना/कार्यक्रम का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
		आबंटन (संशोधित अनुमान)	आबंटन (संशोधित अनुमान)	आबंटन (संशोधित अनुमान)	आबंटन (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6
1	NMDFC की इक्विटी को अंशदान	160.00	110.00	100.00	159.00
2	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान	90.00	80.00	76.00	0.01
3	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	40.00	35.00	41.00	41.00
4	मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	361.51	400.00	325.00	365.00
5	निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	40.00	25.00	39.35	79.00
6	एनएमडीएफसी कार्यक्रम में कार्यान्वयन के लिए शामिल राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान।	2.00	1.00	2.00	2.00
7	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम)	1588.86	971.38	1199.55	1650.00
8	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	1199.82	1330.00	1378.00	1425.00
9	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	482.66	535.00	468.00	515.00
10	सचिवालय	24.39	26.00	26.90	30.61
11	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	130.00	100.00	99.00	99.00
12	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना	15.00	9.00	10.00	10.00
13	शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (पूर्व में जीआईए से वक्फ)	3.16	3.00	2.00	5.00
14	अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना।	10.00	6.00	2.50	2.50

15	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी।	25.00	22.00	24.00	24.00
16	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजना।	4.00	4.00	3.00	10.00
17	कौशल विकास पहल	250.00	190.00	250.00	235.41
18	संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सहायता	10.00	8.00	6.00	8.00
19	विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण योजना (उस्ताद)	60.00	60.00	47.00	47.00
20	हमारी धरोहर	3.00	5.20	2.00	2.00
21	नई मंजिल	100.00	60.00	47.00	46.00
22	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	10.30	9.29	9.92	12.70
23	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2.30	2.13	2.19	2.85
24	हज सीजीआई, जेद्दा	80.00	11.00	10.58	79.42
25	हज सचिवालय	8.00	2.00	1.46	10.00
26	मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	0.00	0.00	174.00	160.00
	कुल	**4700.00**	**4005.00**	**4346.45**	**5020.50**

******